Important Information for Customers

ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

A. Overdue date/ ओवर ड्यू (भुगतान विलम्भ की तिथि)

As per the Reserve Bank of India's Guidelines, an amount shall be treated as overdue if it is not paid on the due date fixed by the lending institutions. It is further clarified that borrower accounts shall be flagged as overdue by the lending institutions as part of their day-end processes for the due date.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि किसी राशि का भुगतान ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा निर्धारित नियत तारीख पर नहीं किया जाता है, तो उसे अतिदेय माना जाएगा। उधारकर्ता खातों को उधार देने वाली संस्थाओं द्वारा नियत तिथि के लिए अपनी दिन-समाप्ति प्रक्रियाओं के भाग के रूप में ओवर ड्यू के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

B. Day-end process/ दिन-समाप्ति की प्रक्रिया

Day-end process means the process undertaken by the lender for booking receipt of/ crediting an amount into the loan accounts of a borrower, post which the account of a borrower is closed for the day.

डे-एंड/ पदिन-समाप्ति की प्रक्रिया का अर्थ होता है, उधारकर्ता के ऋण खातों में राशि की रसीद/ जमा करने के लिए ऋणदाता द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके बाद उधारकर्ता के खाते का लेखा कर दिया जाता है व कोई भी समयोजन उस तिथि के लिए बंद कर दिया जाता है।

Example/ उदाहरण

यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2023 है, और ऋण देने वाली संस्था द्वारा इस तिथि की अंतिम प्रक्रिया शुरू करने से पहले पूरा बकाया प्राप्त नहीं होता है

तो ओवर ड्यू विलम्भित भुगतान की तिथि 31 मार्च, 2023 होगी।

C. Special Mention Account (SMA)/ विशेष उल्लेखित खाता (एसएमए)

The circular DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 on 'Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets' requires the lenders to recognize incipient stress in borrower accounts, immediately on default, by classifying them as special mention accounts (SMA). In order to remove any ambiguity, it is clarified that the intervals are intended to be continuous and accordingly, the basis for classification of SMA categories shall be as follows:

Description	Classification Date (upon running day-end process)	Classification Assigned
Due Date	20/11/2023	
If the repayment is not made by the borrower as on the day-end of 20/11/2023 then the said loan account becomes overdue on 20/11/2023 (date of overdue) itself	20/11/2023	SMA-0 for the next 30 days, if full dues are not paid
If the account continues to remain SMA-0 for the next 30 days, then this account will be tagged as SMA-1.	20/12/2023	SMA-1 for the next 30 days, if full dues are not paid
If the account continues to remain SMA-1 for the next 30 days, then this account will be tagged as SMA-2	19/01/2024	SMA-2 for the next 30 days, if full dues are not paid
If the account continues to remain SMA-2 for the next 30 days, then it will be classified as NPA.	19/02/2024	Non- Performing Assets (NPA)

'स्ट्रेस्ड एसेट्स के समाधान के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क' पर 7 जून, 2019 को जारी सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 में उधारदाताओं को विशेष उल्लेखित खातों (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करके चूक के तुरंत बाद उधारकर्ता खातों में प्रारंभिक स्ट्रेस को पहचानने की आवश्यकता है। किसी भी अस्पष्टता को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतराल के जारी रहने की सम्भावना है और तदनुसार, एसएमए श्रेणियों के वर्गीकरण का आधार निम्नानुसार होगा:

विवरण	वर्गीकरण दिनांक (दिन-समाप्ति प्रक्रिया चलने पर)	सौंपा गया वर्गीकरण
नियत तिथि	20/11/2023	-
यदि उधारकर्ता द्वारा 20/11/2023 के दिन-समाप्ति तक पुनर्भुगतान नहीं किया जाता है, तो उक्त ऋण खाता 20/11/2023 (ओवर ड्यू की तारीख) को ही ओवर ड्यू हो जाता है।	20/11/2023	पूरे बकाये का भुगतान नहीं होने पर अगले 30 दिनों के लिए एसएमए-0
यदि खाता अगले 30 दिनों तक एसएमए -0 बना रहता है, तो इस खाते को एसएमए -1 के रूप में टैग किया जाएगा।	20/12/2023	पूरा बकाया भुगतान नहीं होने पर अगले 30 दिनों के लिए एसएमए-1
अगर खाता अगले 30 दिनों तक एसएमए-1 ही रहता है तो इस खाते को एसएमए-2 के रूप में टैग कर दिया जाएगा।	19/01/2024	पूरा बकाया भुगतान नहीं होने पर अगले 30 दिनों के लिए एसएमए-2
अगर खाता अगले 30 दिनों तक एसएमए-2 बना रहता है तो उसे एनपीए की श्रेणी में डाल दिया जाएगा।	19/02/2024	गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए)

D. Non-Performing Asset (NPA)/ गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए)

A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where interest and / or instalment of principal remains overdue after closure of day end process on 90th day from the due date.

एक गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) एक ऋण या अग्रिम है जहां नियत तारीख से 90 वें दिन, दिन के अंत की प्रक्रिया बंद होने के बाद ब्याज और / या मूलधन की किस्त बकाया रहती है।

E. Upgradation of Accounts Classified as NPA/ एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों का उन्नयन

Loan accounts classified as NPAs may be upgraded as 'standard' asset only if entire arrears of interest and principal are paid by the borrower. In case of borrowers having more than one credit facility from a lending institution, loan accounts shall be upgraded from NPA to standard asset category only upon repayment of entire arrears of interest and principal pertaining to all the credit facilities.

एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' संपत्ति के रूप में तभी अपग्रेड किया जा सकता है जब उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन की पूरी बकाया राशि का भुगतान किया जाता है। किसी ऋणदाता संस्थान से एक से अधिक ऋण सुविधा रखने वाले उधारकर्ताओं के मामले में, ऋण खातों को सभी क्रेडिट सुविधाओं से संबंधित ब्याज और मूलधन के पूरे बकाया के पुनर्भुगतान पर ही एनपीए से मानक परिसंपत्ति श्रेणी में अपग्रेड किया जाएगा।

DIGAMBER FINANCE

Product Categories & Product –Wise Interest Rate

विभिन्न प्रकार की ऋण सुविधाएं व उन पर ब्याज दर

संयुक्त देयता समूह ऋण

उधारकर्ता	: केवल महिलाएं
समूह का आकार	: न्यूनतम 4, अधिकतम 1
कुल धनराशि	: ₹ 23000 - 57000
अवधि	: 20-30 EMI
न्यूनतम ब्याज दर प्रति वर्ष (आरओआई)	: 26.00%
अधिकतम ब्याज दर प्रति वर्ष (आरओआई)	: 26.55%
औसत ब्याज दर प्रति वर्ष (आरओआई)	: 26.28%
प्रोसेसिंग शुल्क	: 1.0 % + जीएसटी
बीमा शुल्क	: वास्तविक
ऋण सुरक्षित करने का तरीका	: लागू नहीं

व्यक्तिगत माइक्रो लोन

उधारकर्ता	: पुरुष और महिला दोनों
समूह का आकार	: न्यूनतम 1, अधिकतम 1
कुल धनराशि	: ₹ 60000 - 100000
अवधि	: 18-30 EMI
न्यूनतम ब्याज दर प्रति वर्ष (आरओआई)	: 25.00%
अधिकतम ब्याज दर प्रति वर्ष (आरओआई)	: 30.00%
औसत ब्याज दर प्रति वर्ष (आरओआई)	: 27.50%
प्रोसेसिंग शुल्क	: 2.0 % + जीएसटी
बीमा शुल्क	: वास्तविक
ऋण सुरक्षित करने का तरीका	: लागू नहीं